राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
उद्देश्य	यह अधिनियम पुरूष और स्त्री श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करने व नियोजन में लिंग के आधार पर स्त्रियों के विरूद्ध विभेद किये जाने का निवारण करने और उससे सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में प्रावधान करने के उद्देश्य से बनाया गया हैं।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक संस्थान अथवा नियोजन पर लागू होता हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर अधिसूचित किया गया हो।See Notification (http://labour.rajasthan.gov.in/Notification.aspx , Item No 25-->Equal Remuneration Establishements)

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार /डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(च)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1. निम्न रजिस्टर्स एवं रिकार्ड्स संधारित किये जा रहे है :–

(क)	क्या समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरूष श्रमिकों को समान वेतन दिया जा रहा है ?	हाँ	नहीं
(ख)	क्या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ?	हाँ	नहीं
(ग)	क्या रजिस्टर –डी संधारित किया गया है ?	हाँ	नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
उद्देश्य	यह अधिनियम कुछ संस्थानों (Certain Establishments) में शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात् कुछ अवधि (Certain Period) में स्त्रियों के नियोजन को नियमित करने तथा प्रसूति सुविधा व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रावधान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक संस्थान जो कारखाना, खान या बागान हों, चाहे वे सरकार के अधीन ही क्यों न हों, पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त यह ऐसे प्रत्येक संस्थान पर भी लागू होता है जहाँ घुड़सवारी, कलाबाजी एवं अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए व्यक्तियों का नियोजन किया जाता है। यह ऐसी दुकानों व संस्थानों पर भी लागू होता है जहाँ पिछले 12 माह में किसी भी दिन 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित रहे हों।

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार /डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(ड़)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1.	पिछले 3 वर्षों में मातृत्व हितलाभ हेतु पात्र महिला श्रमिकों की संख्या	
2.	क्या महिला श्रमिकों से प्रसव के 6 सप्ताह पश्चात् व संभावित प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व के बीच की अवधि में कार्य लिया गया है ?	हाँ/नहीं
3.	क्या महिला पात्र श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया गया है ?	हाँ/नहीं
4.	क्या मस्टर रोल का संधारण किया गया है ?	हाँ/नहीं
5.	क्या एकीकृत सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न भेजी गयी है ?	हाँ/नहीं
6.	क्या अधिनियम का सारांश प्रदर्शित किया गया है ?	हाँ/नहीं
7.	क्या एकीकृत एकल रिटर्न प्रस्तुत कर दी गयी है ?	हाँ/नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
उद्देश्य	यह अधिनियम कुछ नियोजनों (Certain Establishment) में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत (Fixing) करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित नियोजनों (Scheduled Employments)पर लागू होता है। राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत 62 अनुसूचित नियोजनों को सम्मिलित कर मजदूरी की न्यूनतम दरें घोषित की जाती है। See Notification (http://labour.rajasthan.gov.in/Notification.aspx , Item No 18-->Minimum Wages Notification 17-12 2015)

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार/ डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(ड़)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1.	क्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है ?	हाँ	नहीं
2.	क्या वेतन भुगतान निर्धारित समय पर किया जा रहा है	हाँ	नहीं
3.	क्या साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है	हाँ	नहीं
4.	अधिक समय कराए गये कार्य के लिए नियमानुसार ओवर टाईम दर से भुगतान किया जा रहा है	हाँ	नहीं
5.	निम्न रजिस्टर्स /रिकोर्ड संधारित किये जा रहे है :–		
(क)	हाजरी रजिस्टर	हाँ	नहीं
(ख)	वेतन भुगतान रजिस्टर	हाँ	नहीं
(ग)	ओवर टाईम रजिस्टर	हाँ	नहीं
(घ)	जुर्माना रजिस्टर	हाँ	नहीं
(च)	कटौती रजिस्टर	हाँ	नहीं
6.	क्या रजिस्टर्स कार्यस्थल पर रखे जा रहे है ?	हाँ	नहीं
7.	निम्न नोटिस प्रदर्शित किये गये है :–		
(क)	न्यूनतम वेतन दरों का प्रदर्शन	हाँ	नहीं
(ख)	संबंधित निरीक्षक का नाम व पता	हाँ	नहीं
(ग)	साप्ताहिक अवकाश	हाँ	नहीं
(घ)	श्रमिकों का कार्यकाल	हाँ	नहीं
(च)	अधिनियम व नियमों के मुख्य प्रावधानों का प्रदर्शन	हाँ	नहीं
(छ)	वेतन भुगतान की दिनांक व नोटिस	हाँ	नहीं
8.	क्या वेतन पर्ची श्रमिकों को दी जा रही है ?	हाँ	नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

9.	एकीकृत एकल रिटर्न निर्धारित समय पर प्रस्तुत कर दी गयी है।	हाँ	नहीं

अधिनियम का नाम	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
उद्देश्य	यह अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित कामगारों के नियोजन एवं सेवा शर्तों को नियमित करना हैं।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों पर लागू होता है जिनमें कार्यालय, गोदाम, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, मनोरंजन स्थल, सिनेमागृह, धर्मशालाऐं एवं धमार्थ संस्थान सम्मिलित हैं। यह अधिनिमय उन समस्त वर्कशॉप व लघु उद्योगों पर भी लागू होता हैं जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार /डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(ड़)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1.	दुकान/संस्थान पंजीकृत है ? यदि हां तो पंजीयन संख्या	हाँ/नहीं
2.	संस्थान का पंजीयन वर्तमान वर्ष हेतु नवीनीकृत है?	हाँ/नहीं
3.	कार्य स्थल पर विजिट बुक निरीक्षण के समय प्रस्तुत की गयी ?	हाँ/नहीं
4.	दुकान/संस्थान साप्ताहिक अवकाश के दिन को खुली पायी गयी ?	हाँ/नहीं/लागू नहीं
5.	दुकान/संस्थान निर्धारित समय के पश्चात्/पूर्व खुली पाई गई?	हाँ/नहीं/लागू नहीं
6.	क्या निम्नलिखित प्रपत्र संस्थान पर प्रदर्शित किये गये है ?	
	(क) पंजीयन प्रमाण पत्र (फॉर्म नं. 3)	हाँ/नहीं
	(ख) संस्थान के बंद रहने के दिन का नोटिस(फॉर्म नं.7)	हाँ/नहीं
	(ग) नियोजित व्यक्तियों के दैनिक कार्य के घण्टे का नोटिस(फॉर्म नं. 13)	हाँ/नहीं
	(घ) नियोजित व्यक्तियों के साप्ताहिक अवकाश का नोटिस(फॉर्म नं. 15)	हाँ/नहीं
7.	संवैतनिक अवकाश रजिस्टर रखा गया है?	हाँ/नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
उद्देश्य	यह अधिनियम कुछ संस्थानों (Certain Establishments) में नियोजित व्यक्तियों को लाभों (Profits) के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता के आधार पर बोनस का भुगतान तथा उससे सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में प्रावधान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम प्रत्येक कारखाने तथा अन्य ऐसे संस्थनों पर लागू हैं जिनमें किसी लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों।

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार/ डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(ड़)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1.	संस्थान/कारखाने की स्थापना का वर्ष	.....
2.	संस्थान/कारखाने नियमित उत्पादन प्रारम्भ होने का वर्ष	.....
3.	संस्थान/कारखाने का लेखा वर्ष	.....
4.	बोनस राशि का भुगतान करने की तिथि	
5.	संस्थान/कारखाने की बैलेंस शीट के अनुसार लेख वर्ष में कितना लाभ है	
6.	प्राप्त अधिबचत (Surplus) की राशि अंकन की गई है?	हाँ/नहीं
7.	यदि हॉ, तो उपरोक्त राशि का अंकन सही है ?	हाँ/नहीं
8.	बोनस भुगतान की गई राशि का प्रतिशत	
9.	क्या एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान किया गया है ?	हाँ/नहीं
10.	कुल श्रमिकों की संख्या जिन्हें बोनस भुगतान किया गया है ?	
11.	कुल श्रमिकों की संख्या जिन्हें बोनस भुगतान नहीं किया गया है ?	
12.	**निम्नलिखित रजिस्टर रखे गये है :–**	
	(क) अधिबचत (Allocable Surplus) की गणना का रजिस्टर (फॉर्म 'A')	हाँ/नहीं
	(ख) अधिबचत (Allocable Surplus) के सेटऑन तथा सेटऑफ दर्शाने वाला रजिस्टर (फॉर्म 'B')	हाँ/नहीं
	(ग) बोनस भुगतान का रजिस्टर (फॉर्म 'C')	हाँ/नहीं
13.	क्या संस्थान ने एकीकृत एकल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?	हाँ/नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
उद्देश्य	यह अधिनियम श्रमिकों/कर्मचारियों की मजदूरी भुगतान को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अन्तर्गत श्रमिक/कर्मचारियों के वेतन, वेतन की अवधि, भुगतान तिथि, जुर्माना व अदत्त(Unpaid) मजूदरी के संबंध में प्रावधान किये गये है।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम कारखानों, वर्कशॉप, मोटर परिवहन, रेल्वे, खानों पर तथा इसके अलावा अन्य ऐसे संस्थानों पर भी लागू होता है जिन पर सरकार अधिसूचना जारी करके लागू कराती है। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोजनों पर अधिनियम को लागू कर रखा है। **विशेष**:–अधिनियम 18000/– प्रतिमाह से अधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी पर लागू नहीं होता है। (केन्द्र सरकार की अधिसूचना एसओ 2260(ई) दि0 11.9.2012)

1. सामान्य जानकारी				
(क)	संस्थान का नाम			
(ख)	संस्थान का पता			
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार /डायरेक्टर का नाम व पता			
(घ)	संस्थान का ई–ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या			
(च)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....			
2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु				
1-	निम्न रजिस्टर्स एवं रिकार्ड्स संधारित किये जा रहे है :–			
(क)	हाजरी रजिस्टर		हाँ	नहीं
(ख)	वेतन भुगतान रजिस्टर		हाँ	नहीं
(ग)	एडवांस रजिस्टर		हाँ	नहीं
(घ)	कटौती रजिस्टर		हाँ	नहीं
(च)	जुर्माना रजिस्टर		हाँ	नहीं
2-	निम्न सूचना प्रदर्शित की गयी है :–			
(क)	वेतन दरों का प्रदर्शन		हाँ	नहीं
(ख)	वेतन भुगतान दिवस, का प्रदर्शन		हाँ	नहीं
(ग)	अधिनियम एवं नियमों के सारांश प्रपत्र का प्रदर्शन (प्रपत्र सं0 5 में)		हाँ	नहीं
3.	क्या नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया गया है।		हाँ	नहीं
4.	क्या किसी श्रमिक/कर्मचारी के वेतन/मजदूरी से अनाधिकृत कटौति की गयी है ?		हाँ	नहीं
5.	एकीकृत एकल रिटर्न निर्धारित समय पर प्रस्तुत कर दी गयी है।		हाँ	नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972
उद्देश्य	यह अधिनियम कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेल कम्पनियों, दुकानों व अन्य संस्थानों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में प्रावधान करने के उद्देश्य से बनाया गया हैं।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम प्रत्येक कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाहों, और रेल कम्पनी तथा दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थानों पर लागू होता है जिनमें पिछले 12 माह में किसी भी दिन 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित रहे हों। कोई दुकान या संस्थान जिस पर यह अधिनियम लागू हो गया है उसमें यदि नियोजित व्यक्तियों की संख्या बाद में 10 से कम हो जाती है तो भी यह अधिनियम लागू होगा।

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार /डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(ड़)	नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1.	क्या संस्थान के प्रारम्भ होने की सूचना नियंत्रक अधिकारी को दी गई ?	हाँ/नहीं
2.	क्या अधिकृत व्यक्ति के नाम का नोटिस प्रदर्शित किया गया है ?	हाँ/नहीं
3.	क्या अधिनियम एवं नियमों का सारांश प्रदर्शित किया गया है ?	हाँ/नहीं
4.	क्या नियोजित व्यक्तियों से नामांकन पत्र भरवाकर प्राप्त कर लिए गए हैं ?	हाँ/नहीं
5.	क्या गत 1 वर्ष में किसी श्रमिक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है ?	हाँ/नहीं
6.	यदि हां, तो क्या भुगतान नियमानुसार किया गया है ?	हाँ/नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (ठेकेदार के लिए)
उद्देश्य	यह अधिनियम कुछ संस्थानों (Certain Establishment) में ठेका श्रमिकों का नियोजन विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में ठेका श्रम का उन्मूलन और उससे संबंधित विषयों के बारे में प्रावधान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होता है जिसमें 50 या अधिक श्रमिक ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित है। यह ऐसे प्रत्येक ठेकेदार पर भी लागू होता है जो 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है।

1. सामान्य जानकारी			
(क)	प्रधान नियोजक के संस्थान का नाम व पता		
(ख)	ठेकेदार के संस्थान का नाम		
(ग)	ठेकेदार के संस्थान का पता		
(घ)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार/ ठेकेदार के/डायरेक्टर का नाम व पता		
(ड़)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या		
(च)	नियोजित ठेका श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....		
2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु			
1.	ठेकेदार के नियोजन में कार्यरत श्रमिकों की संख्या		
2.	क्या ठेकेदार द्वारा लाईसेंस लेना आवश्यक है ?		हाँ/नहीं
3.	यदि हाँ तो क्या लाईसेंस लिया गया है ?		हाँ/नहीं
4.	लाईसेंस संख्या		
5.	मुख्य नियोजक के संस्थान की पंजीयन संख्या.....		
6.	क्या संस्थान में ठेकेदारों का रजिस्टर रखा गया है		हाँ/नहीं
7.	निम्नलिखित नोटिस प्रदर्शित किये है :–		
	(क) वेतन दर		हाँ/नहीं
	(ख) कार्य समय		हाँ/नहीं
	(ग) वेतन अवधि		हाँ/नहीं
	(घ) वेतन देने की तिथि		हाँ/नहीं
	(च) निरीक्षक का नाम व पता		हाँ/नहीं
	(छ) ओवरटाईम वेतन देने की तिथि		हाँ/नहीं
8.	क्या ठेकेदार ने एकीकृत रिटर्न प्रस्तुत की है		हाँ/नहीं
9.	क्या मुख्य नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार के द्वारा श्रमिकों के भुगतान संबंधित रिकार्ड को सत्यापित किया गया है		हाँ/नहीं

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
निरीक्षण चैक लिस्ट

अधिनियम का नाम	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1971 (मुख्य नियोजक के लिये)
उद्देश्य	यह अधिनियम कुछ संस्थानों (Certain Establishment) में ठेका श्रमिकों का नियोजन विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में ठेका श्रम का उन्मूलन करने और उससे संबंधित विषयों के बारे में प्रावधान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
प्रभावशीलता	यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होता है जिसमें 50 या अधिक श्रमिक ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित है। यह ऐसे प्रत्येक ठेकेदार पर भी लागू होता है जो 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है।

1. सामान्य जानकारी

(क)	संस्थान का नाम	
(ख)	संस्थान का पता	
(ग)	संस्थान के नियोजक/स्वामी/भागीदार /डायरेक्टर का नाम व पता	
(घ)	संस्थान का ई–मेल आई.डी. व दूरभाष संख्या	
(ड़)	संस्थान में नियोजित श्रमिक पुरूष ..... महिला..... बालक.....	

2. नियोजक के दायित्व तथा निरीक्षण में देखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1.	संस्थान में कार्यरत ठेकेदारों की संख्या	
2.	संस्थान में ठेके पर नियोजित श्रमिकों की संख्या	
3.	क्या संस्थान द्वारा अधिनियम के तहत पंजीयन करा लिया है ? यदि हां, तो पंजीयन संख्या.....	हाँ/नहीं
4.	क्या संस्थान में ठेकेदारों का रजिस्टर रखा गया है ?	हाँ/नहीं

निम्नलिखित नोटिस प्रदर्शित किये गये हैं :–

1.	वेतन दर	हाँ/नहीं
2.	कार्य समय	हाँ/नहीं
3.	वेतन अवधि	हाँ/नहीं
4.	वेतन देने की तिथि	हाँ/नहीं
5.	ओवर टाइम के लिए वेतन देने के की तिथि	हाँ/नहीं
6.	निरीक्षक का नाम व पता	हाँ/नहीं
7.	क्या ठेकेदार के श्रमिकों को मुख्य नियोजक के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष वेतन का भुगतान किया जाता है ?	हाँ/नहीं
8.	क्या संस्थान ने एकीकृत एकल रिटर्न प्रस्तुत की हैं ?	हाँ/नहीं